राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर/2287-2436 दिनांक 26/6/2020

विभागाध्यक्ष
समस्त ।

विषयः– **राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में शुद्धता प्रतिस्थापित करने एवं कर्मचारियों के मास्टर डाटा में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में।**

संदर्भः– परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/आई.एफ.एम.एस./3666–4165 दिनांक 13.09.2019, एफ.5(थ–75)कोष/आई.एफ.एम.एस./पे–मैनेजर/9023–9522 दिनांक 23.01.2020एवं एफ.5(थ–75)कोष/आई.एफ.एम.एस./पे–मैनेजर/226–425 दिनांक 15.04.2020

महोदय,

विभाग के संदर्भित परिपत्रों दिनांक 13.09.2019 एवं 23.01.2020 के द्वारा संवेतन हेतु उपलब्ध कार्मिकों के मास्टर डाटा की शुद्धता, कार्यालयवार पद वितरण तथा मास्टर डाटा की जाँच कर अधिकृत किए जाने एवं अन्य राजकीय भुगतानों के डेटा की पूर्ण शुद्धता (मय बैंक खातों के विवरण सहित) सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए गये हैं, जिनकी पूर्ण पालना अभी तक अपेक्षित है।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 23.01.2020 के अनुसार HOD रजिस्ट्रेशन का कार्य दिनांक 10.02.2020 तक पूर्ण किया जाना था, ताकि संवेतन माह अप्रैल देय मई 2020 की संवेतन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, जिसे इस विभाग के संशोधन दिनांक 15.04.2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु किए गये लॉकडाऊन की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संवेतन माह जून 2020 देय माह जुलाई 2020 किया गया था, लेकिन स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अभी तक विभागों द्वारा HOD रजिस्ट्रेशन कार्मिक डेटा अधिकृति कार्य नहीं करवाया गया है।

अतः अंतिम बार एक बार पुनः संदर्भित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की समयावधि संवेतन माह जुलाई 2020 देय माह अगस्त 2020 की गई है तदानुसार HOD रजिस्ट्रेशन करवाया जाना, कार्मिकों के उपलब्ध मास्टर डाटा की शुद्धता, कार्यालयवार पद विवरण तथा मास्टर डाटा की जाँच कर अधिकृत किए जाने तथा अन्य राजकीय भुगतानों के डेटा की पूर्ण शुद्धता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे अन्यथा माह जुलाई देय माह अगस्त 2020 के पश्चात जिन कार्मिकों के मास्टर डेटा की शुद्धता की जाँच कर अधिकृत नहीं किया गया है अथवा कार्यालयवार पद वितरण नहीं किए गये है तो वेतन भुगतान प्रक्रिया अवरूद्ध हो जायेगी।

अतः सम्बद्ध अधिकारियों को स्पष्ट दिशा–निर्देश देकर उक्त अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सम्पादित करवाया जाना अनिवार्य है।

भवदीय

24/06/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

2437-2479
26/6/2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. कोषाधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752